अतिब्याज उधार अधिनियम, 1918

(1918 का अधिनियम संख्यांक 10)[1]

[22 मार्च, 1918]

कतिपय मामलों में धन या वस्तु के रूप में लिए गए अतिब्याज उधारों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए न्यायालयों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिनियम

कतिपय मामलों में धन या वस्तु के रूप के लिए गए अतिब्याज उधारों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए न्यायालयों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना समीचीन है; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अतिब्याज उधार अधिनियम, 1918 है ।

(2) इसका विस्तार [2][उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय, [2][जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] [3]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी ऐसे क्षेत्र, व्यक्तियों के वर्ग, या संव्यवहारों के वर्ग को लागू नहीं होगा, जिसे वह अपनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(1) "ब्याज" से ब्याज की दर अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत ऐसी वापसी भी है जो वस्तुत: दिए गए उधार के अतिरिक्त दी जाए, चाहे वह विनिर्दिष्टत: ब्याज के रूप में या अन्यथा प्रभारित की जाए या वसूल की जानी ईप्सित हो ।

(2) "उधार" से कोई उधार अभिप्रेत है, चाहे वह धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में, और इसके अन्तर्गत ऐसा संव्यवहार भी है, जो, न्यायालय की राय में, सारत: उधार हो ।

(3) "ऐसा वाद जिसे यह अधिनियम लागू होता है" से—

(क) किसी उधार की इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की गई वसूली के लिए; अथवा

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् लिए गए किसी उधार की बाबत, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ली गई किसी प्रतिभूति के या किए गए किसी करार के, चाहे वह हिसाब के निपटारे के रूप में हो या अन्यथा, प्रवर्तन के लिए; [4][अथवा

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् लिए गए किसी उधार की बाबत, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दी गई किसी प्रतिभूति के मोचन के लिए,]

कोई वाद अभिप्रेत है ।

3. संव्यवहारों का फिर से चालू किया जाना—(1) यूजुअरी लाज रिपील ऐक्ट, 1855 (1855 का 28) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी ऐसे वाद में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, चाहे उसकी सुनवाई एकपक्षीय रूप में हुई हो या अन्यथा, न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि—

(क) ब्याज अत्यधिक है; और

(ख) संबंधित पक्षकारों के बीच जो संव्यवहार हुआ था वह सारत: नावाजिब है,

तो न्यायालय निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अर्थात् :—

---

[1] यह अधिनियम 1934 के यू०पी० अधिनियम सं० 23 और 1976 के अधिनियम सं० 29 द्वारा संयुक्त प्रांत में, 1934 के मध्य प्रांत अधिनियम सं० 11 द्वारा मध्य प्रांत में; 1937 के मद्रास अधिनियम सं० 8 द्वारा मद्रास में; 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम सं० 4 द्वारा पूर्वी पंजाब में; 1961 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं० 24 द्वारा आन्ध्र प्रदेश में; और 1970 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 3 द्वारा हिमाचल प्रदेश में संशोधित किया गया ।

1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 (अधिसूचना की तारीख से) द्वारा यह अधिनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित किया गया ।

यह अधिनियम 1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेल्लारी जिले को लागू होने में निरसित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा "ब्रिटिश बलूचिस्तान सहित" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1926 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) संव्यवहार को फिर से चालू करना, पक्षकारों का हिसाब देखना, और ऋणी को किसी अत्यधिक ब्याज की बाबत सभी दायित्व से मुक्त करना;

(ii) ऐसे किसी करार के होते हुए भी, जिसका तात्पर्य पूर्वतन संव्यवहारों को समाप्त करके नए दायित्व का सृजन करना हो, किसी ऐसे हिसाब को, जो उनके बीच हो चुका है, फिर से खोलना और ऋणी को किसी अत्यधिक ब्याज की बाबत सभी दायित्व से मुक्त करना, और यदि ऐसे दायित्व की बाबत खाते में कोई संदाय किया गया है या अनुज्ञात किया गया है तो ऋण दाता को यह आदेश देना की वह उतनी धनराशि का प्रतिसंदाय करे जितनी न्यायालय उसकी बाबत प्रतिसंदेय समझता है;

(iii) किसी उधार की बाबत दी गई किसी प्रतिभूति या किए गए किसी करार को पूर्णत: या अंशत: अपास्त करना या उसे पुनरीक्षित या परिवर्तित करना और यदि ऋणदाता ने प्रतिभूति विलग कर दी है तो उसे यह आदेश देना कि वह ऋणी की ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जिसे न्यायालय न्यायोचित समझे, क्षतिपूर्ति करे :

परन्तु इन शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय—

(i) ऐसे किसी करार को, जिसका तात्पर्य पूर्वतन संव्यवहारों को बन्द करके किसी ऐसी नई बाध्यता का सृजन करना है, जो संव्यवहार की तारीख से [1][बाहर] वर्ष के बाद की किसी तारीख को पक्षकारों द्वारा या ऐसे किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, जिनकी मार्फत वे दावा करते हैं या उन्होंने दावा किया है, पुनर्जीवित नहीं करेगा :

(ii) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी न्यायालय की कोई डिक्री प्रभावित होती हो ।

स्पष्टीकरण—ऐसे वाद की दशा में, जो संव्यवहारों की आवली पर लाया गया हो, "संव्यवहार" पद से परन्तुक (i) के प्रयोजन के लिए ऐसे संव्यवहारों में से पहला संव्यवहार अभिप्रेत है ।

(2) (क) इस धारा में "अत्यधिक" से उतने से अधिक अभिप्रेत है जितना न्यायालय ऐसे उठाए गए जोखिम का ध्यान रखते हुए युक्तियुक्त समझे जो उधार की तारीख को ऋणदाता को प्रतीत हुई थी या प्रतीत हुई मानी जा सकती थी ।

(ख) यह विचार करते समय कि ब्याज इस धारा के अधीन अत्यधिक है या नहीं, न्यायालय उन रकमों को, जो व्ययों, जांच, जुर्माने, बोनस, प्रीमियम, नवीकरण अथवा किन्हीं अन्य प्रभारों के लिए चाहे धन के रूप में या वस्तु के रूप में, प्रभारित या संदत्त की गई थी और यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रभारित किया जाता है तो उन अवधियों को, जिन पर उसकी संगणना की गई है, और उस संपूर्ण फायदे को भी, जिसके संव्यवहार से होने की आशा उचित रूप से की जा सकती थी, ध्यान में रखेगा ।

(ग) जोखिम के प्रश्न पर विचार करते समय, न्यायालय इस बात को, कि प्रतिभूति दी गई है या नहीं, और उसके मूल्य, ऋणी की वित्तीय हालत और उधार के रूप में ऋणी के किसी पूर्वतन संव्यवहार के परिणाम को, जहां तक वे ऋणदाता को ज्ञात थे या यह माना जा सकता है कि वे उसे ज्ञात थे, ध्यान में रखेगा ।

(घ) यह विचार करते समय कि कोई संव्यवहार सारत: नावजिब था या नहीं न्यायालय उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जो उधार लेने के समय पक्षकारों के सम्बन्धों पर तात्विक प्रभाव डालने वाली थीं या जिनसे यह प्रतीत होता है कि वह संव्यवहार नावजिब था, और इसके अन्तर्गत उधार के समय ऋणी की आवश्यकताएं या अनुमित आवश्यकताएं भी हैं, जहां तक वे ऋणदाता को ज्ञात थीं या यह माना जा सकता है कि वे उसे ज्ञात थीं ।

स्पष्टीकरण—ब्याज इस बात का स्वयं पर्याप्त साक्ष्य हो सकता है कि संव्यवहार सारत: नावाजिब था ।

(3) यह धारा किसी भी वाद को, उसका स्वरूप चाहे जो भी हो, यदि वह वाद सारत: किसी उधार की वसूली के लिए या किसी उधार की बाबत किसी करार या प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के लिए [2][या ऐसी किसी प्रतिभूति के मोचन के लिए] है तो, लागू होगी ।

(4) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे मूल्यार्थ अंतरिती के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी जो न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसे किया गया अन्तरण सद्भावपूर्ण था और ऐसे अन्तरण के समय उसे किसी ऐसे तथ्य की सूचना नहीं थी जिसने ऋणदाता के विरुद्ध ऋणी को इस धारा के अधीन राहत देने का हकदार बनाया होता ।

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "सूचना" शब्द का वही अर्थ होगा जो संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 4 में उसे दिया गया है ।

(5) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी न्यायालय की विद्यमान शक्तियों या अधिकारिता के अल्पीकरण में है;

4. दिवाला संबंधी कार्यवाहियां—दिवाले संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में किसी उधार के सबूत को स्वीकार करने या उसकी रकम के संबंध में किसी आवेदन पर न्यायालय वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग किसी ऐसे वाद में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, किसी न्यायालय द्वारा धारा 3 के अधीन किया जा सकता है ।

———

[1] 1926 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा "छह" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1926 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।